भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1936
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी आधारित उद्योग

1936. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विशेषकर गोपालगंज जिले में डेयरी आधारित उद्योगों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में चलाई जा रही विभिन्न डेयरी आधारित परियोजनाओं के कारण राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार में डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार बिहार सहित पूरे देश में डेयरी आधारित उद्योगों के विस्तार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:-

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): - देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आरजीएम योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, शुरुआत से ही गोपालगंज जिले सहित बिहार को 260.79 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा संगठित दूध खरीद में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एनपीडीडी योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, शुरुआत से ही गोपालगंज जिले सहित बिहार में 29 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिसका कुल परिव्यय 380.43 करोड़ रुपये है, जिसमें 263.24 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता और 55.01 करोड़ रुपये की ऋण राशि शामिल है।

iii. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): एएचआईडीएफ योजना का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना का निर्माण/आधुनिकीकरण करना है। इस योजना के तहत, बिहार में दो डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसका कुल परिव्यय 125.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 84.20 करोड़ रुपये की ऋण राशि शामिल है।

iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी और एफपीओ) को सहायता**:** कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत, बिहार में भाग लेने वाली एजेंसियों को 3.22 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन जारी किया गया है।

इसके अलावा, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड) ने बताया है कि सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में 53.64 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र अनुमोदित किया गया है।

(ग) राज्य और भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/पहलों के कारण, बिहार में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 7.77 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 12.85 मिलियन टन हो गया

(घ) सरकार ने (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित डीएएचडी की योजनाओं के अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा भी प्रदान की है।

****